

A185/18

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
A185/18	53. 88. 89. 188 RE	रुखती	बाय
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राकबायी की	बनाम	मारमन की	

वकील : ~~डा. हरिहर सिन्हा~~ आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

6/11/18	रिपोर्ट के आधार पर दफ्तर में रोक रखी जा रही है। कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। दिनांक 4-1-18। उप खण्ड अधिकारी बारां	4-1-18
4-1-19	पीठासीन अधिकारी को अनुरोध किया गया कि वह अपने आदेश में प्रस्तुत की गई प्रतियों को ध्यान में रखकर फैसला दें। दिनांक 7-2-19। उप खण्ड अधिकारी बारां	
7-2-19	पीठासीन अधिकारी को अनुरोध किया गया कि वह अपने आदेश में प्रस्तुत की गई प्रतियों को ध्यान में रखकर फैसला दें। दिनांक 2-4-19। उप खण्ड अधिकारी बारां	
24/4/19	पत्रावली आज केन्द्र के उद्दिवादी की हल्की है। पत्रावली दि. 8/5/19 को देना है।	
8/5/19	पीठासीन अधिकारी को अनुरोध किया गया कि वह अपने आदेश में प्रस्तुत की गई प्रतियों को ध्यान में रखकर फैसला दें। दिनांक 14/6/19। उप खण्ड अधिकारी बारां	
14/6/19	पत्रावली केन्द्र के उद्दिवादी की हल्की है। पत्रावली दि. 8/8/19 को देना है। उप खण्ड अधिकारी बारां	


~~Handwritten signature~~  
बारां जिला मजिस्ट्रेट  
बारां

पत्रावली आज पेना हुई। वसुधैव कुटुम्बकम् परीक्षण उक्त  
 उद्दिष्टादी लक्षा 12 ता 15 की तलसी देहु लक्षणा  
 पेना हुई। पूर्व में परीक्षा अकाल दिना जा चुका  
 है। अन्तिम अकाल दिना आज पत्रावली का है  
 तलसी दिनांक 14-11-24 को पेना है। (1)

14-11-24

सहायक अधिकारी की कार्यवाही 300 नसी।

वे अपने से पूर्ववत दिनांक 10-11-25 को प्रस्तुत की।



नया खण्ड अधिकारी बरत

10-11-25

पत्रावली आज पेना हुई। वसुधैव कुटुम्बकम् परीक्षण उक्त  
 उद्दिष्टादी 300 नसी। वसुधैव कुटुम्बकम् परीक्षण  
 उद्दिष्टादी के दिन बाद आज का लक्षण उक्त  
 वास्तव में प्रचारा के न्यायालय में 300 नसी।  
 अतः वारी का बाद अदत शब्दी अदत  
 पेना है। वारी का दिनांक आज है। पत्रावली दिनांक  
 उक्त दिनांक बाद तलसी लक्षणा के दिनांक  
 यथा है। (1)